दिनांक:02.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा छात्रा से मोबाइल फोन झपटमारी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/ अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाईल फोन , घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल तथा 01 तमंचा/01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 28.06.2025 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र सुलेखचन्द निवासी ग्राम सरूरपुर तगा थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी बाबत वादी की पुत्री जो कोचिंग करके अपने ग्राम सरूरपुर तगा जा रही थी, रास्ते में जाते समय मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री का मोबाइल फोन को झपट्टा मारकर छीनकर ले जाने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 211/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व मोबाईल बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त /चैकिंग के दौरान छात्रा से झपटमारी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर/अभियुक्तगण **1.अंकित पुत्र रामपाल निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर खाना नकुड जनपद सहारनपुर, 2.पिन्टु पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर खाना नकुड जनपद सहारनपुर** को रणदेवा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01छात्रा से झपट्टा मार कर छीनने वाला मोबाईल फोन (टैकनो कम्पनी), घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर एंव अभियुक्त अंकित के कब्जे से 01 तमंचा /01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त अंकित के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 215/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 211/25 धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2)/336(2)/318(4) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयानः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं तथा नशा करने के आदि भी हैं। हम दोनो मिलकर अपने नशे की लत को पूरा करने व अधिक रुपये कामने के लिये बंद पड़ी दुकान या मकान से चोरी कर लेते हैं व चोरी किये गये सामान को कबाड़ी को बेच देते हैं। दिनांक 28.06.2025 को हम दोनो ने अपनी मोटरसाइकिल से जुड्डी रोड पर जाती हुई दो लड़कियो से एक लड़की के हाथ से फोन को छीनकर भाग गये थे। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित ने बताया कि जो तमंचा पुलिस ने मुझस बरामद किया है उसे मैं अपनी सुरक्षा व आस पास के लोगो को डराने के लिये अपने पास रखता हूँ। दिनांक 01.07.2025 को जब हम दोनो फिर से झपटमारी व चोरी की घटना करने जा रहे थे तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अंकित पुत्र रामपाल निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर खाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. पिन्टु पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर खाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 300/23 धारा 379/411 भादवि थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 301/23 धारा 394/411 भादवि थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल स्पलैण्डर
- 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

- 01 मोबाईल फोन (टैकनो कम्पनी का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री शौकीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 1074 कालूराम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

दिनांक:02.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 नशा तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.07.2025 को गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त **आरिफ पुत्र जान मौहम्मद नि0 ग्राम नया कुंडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को जंगल ग्राम बसी से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 233/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आरिफ पुत्र जान मौहम्मद नि0 ग्राम नया कुंडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 10 ग्राम नाजायज स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 555/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 -233/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विजय कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 60 शैलेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 472 जितेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

दिनांक:02.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 8000/- रूपये नगद व 03 लॉकेट (पीली धातु), बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 01.07.2025 को वादी श्री सोनीपाल पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मिलको थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण शहजान पुत्र मौ0 बाबू लौहार निवासी ग्राम मिलको थाना बेहट सहारनपुर द्वारा वादी के घर में घुसकर अलमारी का ताला तोडकर 10000/- रूपये व सोने की ज्वेलरी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0स0 281/25 धारा 305(ए)/331(3) बीएनएस बनाम शहजान उपरोक्त के विरूध पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लकरे चोरी गये सामान की बरामदगी व घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त **शहजान पुत्र मौ0 बाबू लौहार निवासी ग्राम मिलको थाना बेहट सहारनपुर** को गन्देवडा मार्ग पर निर्माणाधीन गुरुद्वारा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये 8000/- रूपये नगद स,03 गले के लॉकेट (पीली धातु के), 01 गले की तबीजी (पीली धातु के) बरामद हुआ।बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मेर ऊपर काफी कर्जा हो गया था। इसलिये मैंने दो दिन पहने अपने ही गाँव मे रहने वाले सोनी के घर से अलमारी का ताला तोड़कर 10,000/- रुपये व सोने की ज्वेलरी चोरी की थी। जिनमें से कुछ रुपये मैंने खर्च कर दिये हैं। आज जब मैं चोरी गये सामान को बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

शहजान पुत्र मौ0 बाबू लौहार निवासी ग्राम मिलको थाना बेहट सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 8000/- रूपये नगद।
- 03 लॉकेट पीली धातु।
- 01 तबीजी (पीली धातु)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री करन नागर थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

3. 1058 राहुल राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. 902 गोविन्द सिंह थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

दिनांकः 02.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.07.2025 को पुलिस टीम द्वारा थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 92/2025 धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे **अभियुक्त दानिश उर्फ भोटू पुत्र नाजिम निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम रायपुर नदी रपटा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दानिश उर्फ भोटू पुत्र नाजिम निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 19/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 33/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 141/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 236/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2415 अंकित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2543 सोनू कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित 01 बाल अपचारी सहित कुल 02 गिरफ्तार व घटना मे प्रयुक्त 01 कार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.07.2025 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग करते समय मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पर पजीकृत मु0अ0सं0 118/25 धारा 115(2)/352/109(1)/3(5) बीएनएस मे वाछिंत चल रहे अभियुक्त **बिलाल पुत्र युनुस निवासी मरकज वाली मस्जिद अम्बेहटा पीर थाना नकुड सहारनपुर** व 01 बाल अपचारी को निर्माणधीन टोल प्लाजा बूथ के पास से हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 कार टोयटा गलेंजा सफेद रंग न0 UK17-Y-7394 बरामद हुई। गिरफ्तारअभियुक्त व बाल अपचारी के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त व बाल अपचारी से पूछताछ की गयी तो बताया कि गाँव पाल्ली का साहिब अपने मोबाईल पर इंस्टाग्राम पर रील बना कर पोस्ट करता रहता है जिस पर हमने उसकी रील पर कमेंट कर दिया था जो उसे बुरी लगी जिस पर मेरे व साहिब के बीच कहा सुनी हो गयी थी और इसी विवाद को सुलझाने के लिये दिनांक 28.06.2025 को हम अपने अन्य दो साथियो के साथ एक कार से गागलहेडी से मु0नगर रोड पर बाबा ढाबा के पास फैसला करने के लिये आये थे कि वही पर बात करते करते विवाद बढ गया था तो हमारे साथी एक अन्य साथी ने फायर किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.बिलाल पुत्र युनुस निवासी मरकज वाली मस्जिद अम्बेहटा पीर थाना नकुड सहारनपुर
2.बाल अपचारी....

अभियुक्त बिलाल का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 240/23 धारा 307/504 भादवि चालानी थाना नकुड स0पुर
2. मु0अ0स0 241/23 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट चालानी थाना नकुड स0पुर
3. मु0अ0स0 245/23 धारा 147/148/149/307 भादवि चालानी थाना गंगोह स0पुर
4. मु0अ0स0 118/2025 धारा 115(2)/352/109(1)/3(5) बीएनएस चलानी थाना गागलहेडी स0पुर

बरामदगी का विवरणः-

➢ 01 कार (टोयटा गलेंजा सफेद रंग न0 UK17Y7394)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष विनोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री उ0नि0 रविकान्त थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री उ0नि0 अतुल कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 317 सुनील थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 716 राकेश थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 02.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.10.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0-388/2024 धारा137 (2) बी.एन.एस बनाम अज्ञात विरुध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिहं के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त **संजीव पुत्र राजेश निवासी म0नं0 1612 ऑल्ड बहादुर चन्द कालोनी नियर गिरडी थाना करनाल सिटी जनपद करनाल हरियाणा** को रोडवेज बस अड्डा सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा धारा-87,70(1) बी.एन.एस. व 5(छ)/6 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

संजीव पुत्र राजेश निवासी म0 नं0 1612 ऑल्ड बहादुर चन्द कालोनी नियर गिरडी थाना करनाल सिटी जनपद करनाल हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 414 गुलनवाज थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 235 विनीत कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर